निवेशकों को राहत, 100% राज्य कर सब्सिडी एकमुश्त मिलेगी

औद्योगिक विकास विभाग का बड़ा फैसला, कारोबारी माहौल को सहज बनाने की कवायद

लखनऊ। प्रदेश में कारोबारी माहौल को और सहज बनाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अभी निवेशक इकाइयों को शुरुआत में 90% जीएसटी की सब्सिडी मिलती है। शेष 10% रकम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और जांच के बाद दी जाती है। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब इकाइयों को एकमुश्त 100% जीएसटी सब्सिडी पहले ही देने का फैसला किया गया है।

फैसले से 5000 से ज्यादा इकाइयों को फायदा होगा। मेगा इकाइयों की जल्द स्थापना और ज्यादा निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यवस्था सरल बनाई जा रही है। इसी कड़ी में सब्सिडी में ढील दी गई है। मेगा इकाइयों को 10 वर्ष तक जीएसटी में 100 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है। सब्सिडी लेने के लिए इकाई को आवेदन करना होता है। फिर जांच-पड़ताल के बाद सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। इसमें काफी समय लग जाता है।

विभाग ने इस प्रक्रिया के अध्ययन में पाया कि औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाई को 10-15 वर्ष तक सब्सिडी मिलती है। ऐसे में सालाना जीएसटी रिटर्न की समीक्षा के बाद शेष 10 फीसदी राशि अवमुक्त करना तर्कसंगत नही है। इसे देखते हुए पात्र इकाइयों को 100 फीसदी जीएसटी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस फैसले से इकाइयों के पास कैश फ्लो बढ़ेगा। ब्यूरो